न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 12/117/2025 GCMS **संख्या:** 2025/430

दर्ज दिनांक: 1.-11-2025 **निर्णय दिनांक:10-06-2026**

1– मुन्फिदा पत्नि अख्तर जाति मेव निवासी ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार, किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्व तहसीलदार, किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 2459 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास निर्णय दिनांक 25.03.2025

उपस्थितिः
1– श्री तैयब खान — वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2459 निर्णय दिनांक 25.03.2025 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 1053 रकबा 0.10 है0, 1054 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास में स्थित है, आराजीयात अपीलान्ट द्वारा दिनाक 27.12.2024 को जये बयनामा जगदीश प्रसाद पुत्र कालूराम जाति अहीर निवासी धांसोली तहसील किशनगढबास से खरीदी गयी है। खरीद शुदा आराजी का मुताबिक बयनामा अमल राजस्व रिकार्ड में कराये जाने हेतु बयनामा की एक प्रति तहत अदालत को पेश की गयी। जिससे आधार पर नामान्तकरण संख्या 2459 दिनाक 13.02.2025 को पटवारी हल्का कोलगांव द्वारा बाद जॉच कर दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो में क्रेता के नाम में अन्तर होने के कारण नामान्तकरण खारिज किया गया है। वास्तविकता यह है, कि अपीलान्ट का नाम मुन्फिदा है, जो [illegible] से डीड राईटर से बैयनामा में मुनिफदा दर्ज हो गया है असल नाम मुन्फिदा ही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 1053 रकबा 0.10 है0, 1054 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास अपीलान्ट द्वारा दिनाक 27.12.2024 को जये बयनामा जगदीश प्रसाद पुत्र कालूराम जाति अहीर निवासी धांसोली तहसील किशनगढबास से खरीदी की गयी है, खरीद शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकार्ड में कराये जाने हेतु बयनामा की एक प्रति तहत अदालत को पेश की गयी। जिससे आधार पर नामान्तकरण संख्या 2459 दिनाक 13.02.2025 को पटवारी हल्का कोलगांव द्वारा बाद जॉच कर दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

समक्ष पेश किया गया। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो में क्रेता के नाम में अन्तर होने के कारण नामान्तकरण खारिज किया गया है। वास्तविकता यह है, कि अपीलान्ट का नाम मुन्फिदा है, जो सहवन से डीड राईटर से बैयनामा में मुनिफदा दर्ज हो गया है असल नाम मुन्फिदा ही है। तहत अदालत से रिपोर्ट प्राप्त की गयी मुताबिक रिपोर्ट के वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास की वर्तमान जमाबंदी के खाता 22 के आराजी खसरा न0 1053 रकबा 0.10 है0, 1054 रकबा 0.19 है0 किता 2 रकबा 0.29 पर जगदीश प्रसाद पुत्र कालूराम हिस्सा 1/2 जाति अहीर निवासी धांसोली तहसील किशनगढबास खातेदार दर्ज रिकार्ड है। आराजी जर्ये बयनामा रजिस्ट्रड क्रमाक 202403359102253 दिनाक 27.12.2024 को मुनिफदा दर्ज था, उक्त बयनामा के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 2459 दिनाक 13.02.2025 को दर्ज किया गया। परन्तु दर्ज नामान्तकरण तथा बयनामा में क्रेता का नाम अलग–अलग होने से दिनाक 25.03.2025 को नामान्तकरण खारिज किया गया है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान पर अपीलान्ट का कब्जा है। कब्जे के बाबत तहत अदालत द्वारा कोई जॉच नही की गयी है, केवल प्रस्तुत दस्तावेजात में नाम भिन्न होने के कारण नामान्तकरण को खारिज कर दिया गया है, प्रस्तुत दस्तावेजात में नाम की भिन्नता के बाबत आवश्यक पूर्ति करायी जाकर/नाम के बाबत जॉच कर नामान्तकरण निर्णित किया जाना चाहिऐ था। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 2459 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 25.03.2025 निरस्त किया जाता है, प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नाम की भिन्नता के बाबत आवश्यक पूर्ति करायी जाकर/नाम के बाबत जॉच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा